संख्या-11/2020/974/77-6-20-एल.सी.08/2019टी.सी.

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय- कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा केस-टू-केस आधार पर अनुरोध भी प्राप्त हो रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के संबंध में भी संशय की स्थिति बनी रह रही है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सतत् प्रक्रिया उद्योग जिनके संचालन की अनुमति दी जाती है, उनमें निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित होंगेः-

1	स्टील	2	रिफाइनरीज	3	सीमेन्ट
4	रसायन	5	उर्वरक	6	वस्त्र (परिधान छोड़कर)
7	फाउन्ड्रीज	8	पेपर	9	टायर
10	कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स	11	चीनी मिलें		

2- उपरोक्त यूनिटों को कच्चा माल के परिवहन तथा आवश्यक अनुरक्षण (maintenance) सेवाओं की भी अनुमति रहेगी।

3- उपरोक्त प्रकार की इकाईयां बिना पृथक अनुमति के निम्नलिखित शर्तों के अधीन खुल/संचालित हो सकती हैं:-

(1) प्रथम चरण में समस्त औद्योगिक इकाईयाँ न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों द्वारा चलायी जाए, जिनकी संख्या किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) यह छूट केवल इकाईयों के संचालन हेतु लागू हैं उनके प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू नहीं है।

(3) विभिन्न जनपदों के कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां सैनिटाईजेशन/स्क्रीनिंग की कार्यवाही चल रही है, वहां पर कर्मियों/वाहनों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

(4) औद्योगिक परिसर/स्थल का भी राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन्स के अनुसार पूर्णतयाः सैनिटाइजेशन कराया जाय।

(5) कार्य-स्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों/कार्मिकों की उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर/थर्मल स्कैनर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

(6) सभी श्रमिकों के लिये मास्क, सैनिटाइजर्स हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के कान्सेप्ट को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

(7) संबंधित जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(8) इकाईयों द्वारा यदि मानकों एवं सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसे बन्द कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) औद्योगिक इकाई द्वारा कोविड-19 (वायरस संक्रमण) की रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी का पूर्णयताः पालन किया जाएगा।

(10) किसी भी श्रमिक/कार्मिक को वायरस संक्रमण लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा।

(11) इकाई को प्रारम्भ करने के पूर्व न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 10 श्रमिकों/कर्मचारियों का RT-PCR TEST RANDOM आधार पर कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनमें Infection circulate नहीं कर रहा है।

(12) संबंधित इकाई द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) उक्त के अतिरिक्त संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/शर्तों का अनुपालन संबंधित इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इकाईयों के स्वामी (OWNER)/कर्मचारी/मजदूर/श्रमिक के पास/आवागमन के संबंध में प्रक्रिया निम्नवत् होगीः-

(1) इकाईयों के स्वामी (OWNER)/कर्मचारी/मजदूर/श्रमिक के लिए किसी अलग पास की आवश्यकता नहीं है, यदि वह कार्य स्थल या कारखाने के परिसर के भीतर अकेले काम करने के उद्देश्य से रह रहें है। ऐसे स्टाफ/लेबर कॉलोनी में किसी अन्य उद्देश्य के लिए लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की स्थितियां लागू की जाएंगी।

(2) अन्य व्यक्तियों के लिए जिन्हें घर से कार्य स्थल तक यात्रा की आवश्यकता पड़ती है, के संबंध में पूर्व में पास के संबंध में निर्गत प्रक्रिया लागू रहेगी।

(3) यथासंभव श्रमिकों के औद्योगिक परिसर में ही रहने की व्यवस्था पृथक से सुनिश्चित की जाए तथा उनके रहने खाने एवं दैनिक जीवन यापन की सभी व्यवस्थायें की जाए।

(4) अन्यथा की स्थिति में श्रमिकों को पूल वाहन से सोशल डिस्टेंसिंग का मानक पूर्ण करते हुए लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उदाहरण के तौर पर 18 सीटर बस से 09 यात्रियों अर्थात 50 प्रतिशत की क्षमता पर चलाया जाय व सैनिटाइजेशन भी कराया जाए।

(5) कर्मचारी/श्रमिकों को लाने ले जाने के लिये पूल वाहनों के सैनिटाइजेशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-11/2020/974/77-6-20-एल.सी.08/2019टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in